(113)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6– 4 –2015–3–एक भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:– **सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों को शासकीय गवाह के रूप में आहूत किये जाने पर टीए/डीए प्रदाय करने के सम्बन्ध में निर्देश।**

किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को न्यायालय आदि के पेशी पर बुलाया जाता है, इस प्रकार की यात्राओं के सम्बन्ध में **मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के सेक्शन–xxiii के अन्तर्गत सहायक नियम**–136 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत टी.ए./डी.ए. प्रदाय करने के सम्बन्ध में पात्रता का प्रावधान रखा गया है।

2– बहुधा यह देखा गया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को जब किसी प्रकरण में शासकीय गवाह के रूप में माननीय न्यायालय में गवाही/साक्ष्य के लिये बुलाया जाता है, तब उन्हें टी.ए./डी.ए. आदि की सुविधा से वंचित रखा जाता है। उन्हें स्वयं के खर्चे पर आना पड़ता है। यह स्थिति न तो उचित है, और न ही व्यवहारिक।

3– अतः ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) जिनको किसी न्यायालय में साक्ष्य आदि के लिए आहूत किया जाता हो, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में उक्त कंडिका–एक में वर्णित यात्रा भत्ता नियम/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग